कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

No.:F-14( )Engg/EE-II/2025-26 दिनांक: यथा हस्ताक्षरित

To,

The Honorable Member,
Rajasthan Real Estate Regulatory Authority (RERA)
2nd & 3rd Floor RSIC Building, Udyog Bhavan,
Tilak Marg C- Scheme, Jaipur (Raj.)

विषय: उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर की आवासीय योजना राजस्व ग्राम वाडा-ढीकली (रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर RAJ/P/2023/2677) की समय सीमा दिनांक 31.03.2026 (01 वर्ष) तक बढाने के क्रम में।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर की आवासीय योजना राजस्व ग्राम वाडा-ढीकली के खसरा संख्या 901 पार्ट, 902 से 905, 945 से 949 से 1015 एवं 1016 का रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर RAJ/P/2023/2677 की समय सीमा दिनांक 31.03.2025 तक निर्धारित थी। वर्तमान में मौके पर उक्त आवासीय योजना में रेरा के नियमानुसार आधारभूत सुविधा के क्रम में सड़क का निर्माण कार्य प्रगतिरत है। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्लान दिनांक 09.05.2023 के अनुसार परियोजना की मुख्य 60 फीट सड़क के समानान्तर सड़क मार्गाधिकार क्षेत्र के मध्य 132 के.वी विद्युत लाईन एवं विद्युत पोल आने से मौके पर सम्पूर्ण लम्बाई में सड़क का निर्माण संभव नही हो पा रहा है। नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के प्राप्त निर्देशो के क्रम में Horizontal clearance from the outermost conductor on either side minimum 2.9 mtr. होनी चाहिए। उक्तानुसार मौके पर 60 फीट चौड़ी सड़क पर ले-आउट करने पर सड़क मार्गाधिकार उपलब्ध नहीं हो पा रहा था।

प्राधिकरण की प्लान शाखा से चर्चा उपरांत उक्त योजना का संशोधित प्लान दिनांक 28.05.2025 को स्वीकृत कर जारी किया गया। उसी के अनुसार मौके पर सड़क निर्माण का कार्य प्रगतिरत है।

Signature valid
Digitally signed by Rahul Jain
Designation: Commissioner
Date: 2025.08.27 18:28:59 IST
Reason: Approved

अतः महत्वपूर्ण योजना में आधारभूत सुविधा के क्रम में सड़क निर्माण एवं अन्य कार्यों में लगने वाले समय के मद्देनजर उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर की आवासीय योजना राजस्व ग्राम वाडा ढीकली के खसरा संख्या 901 पार्ट, 902 से 905, 945 से 949 से 1015 एवं 1016 का रेरा रजिस्ट्रेशन नम्बर RAJ/P/2023/2677 की समय सीमा दिनांक 31.03.2026 (01 वर्ष) तक बढाये जाने का श्रम करावें।

(राहुल जैन) IAS
आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

Signature valid
Digitally signed by Rahul Jain
Designation : Commissioner
Date: 2025.08.27 1?:28:59 IST
Reason: Approved

UDA

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 26/05/25 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण संख्या : 480/05

1	आवेदक का नाम आई डी नं०	उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर वाडा इंन्टिग्रेटेड टाउनशिप योजना (संशोधित) -
2	खसरा नं० व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम वाड़ा ढीकली के खसरा संख्या 901 (पार्ट), 902, 903, 904, 905, 945, 946, 947, 948, 949, 1015, 1016,
3	कुल क्षेत्रफल	19.7900 हेक्टयर

4 संशोधित ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण।

RESIDENTIAL (PLOTS)	COMMERCIAL SHOP	COMMERCIAL BLOCK	FOOTPATH	TOTAL AREA
646098.14 वर्गफीट 30.34 प्रतिशत	20433.40 वर्गफीट 0.95 प्रतिशत	75523.48 वर्गफीट 3.54 प्रतिशत	7815.28 वर्गफीट 0.36 प्रतिशत	21,29,404.00 वर्गफीट 100.00 प्रतिशत
PARKING	RESERVED FOR FACILITY – COMMUNITY / PARK	PARK	ROAD AREA	
11328.13 वर्गफीट 0.53 प्रतिशत	282695.51 वर्गफीट 13.31 प्रतिशत	254767.18 वर्गफीट 11.96 प्रतिशत	830742.87 वर्गफीट 39.01 प्रतिशत	

5 विवरण

(1) अधीक्षण अभियन्ता, प्राधिकरण की आनलाईन पत्रावली पर रिपोर्ट अनुसार "राजस्व ग्राम वाडा ढीकली खसरा संख्या 901 पार्ट, 901 से 905, 945 से 949, 1015 एवं 1016 में विभिन्न आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्लान अनुसार मौके पर हाईवे के समानान्तर स्थित 60 फीट सड़क के मार्गाधिकार के मध्य में हाईटेंशन लाईन 132 के.वी. के दो (02) विधुत पोल आ रहे है। इस कारण मौके पर पोल के दोनो तरफ वाहनों के आवागमन हेतु चौडाई कम मिल पा रही है।" जिसके क्रम में हाईटेंशन लाईन होने से उक्त योजना मानचित्र में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

(2) पूर्व में आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान दिनांक 09-05-2023 को इंटीग्रेटेड आवासीय योजना

Off. Add. : SAHELI MARG, UDAIPUR (Raj.), 0294-2425035, uitudaipur@rediffmail.com

		प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया था एवं दिनांक 10-10-2024 को ब्लाक N के पार्ट प्लान का संशोधन किया गया था जिसे भी संशोधित प्लान में अंकित किया गया है।
	(3)	सहायक नगर नियोजक, प्राधिकरण की आनलाईन पत्रावली पर रिपोर्ट अनुसार "आवेदित योजना के दक्षिण दिशा मे हाईवे के समान्तर पूर्व अनुमोदित प्लान में दर्शित 60 फीट सड़क के मार्गाधिकार मे 132 K.V. H.T. Line गुजर रही है। उक्त विद्युत लाइन का नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 17-06-2022 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसरण में सेफ्टी कारिडोर व ROW के कारण योजना में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
	(4)	बिक्री शाखा, प्राधिकरण की रिपोर्ट अनुसार पूर्व में अनुमोदित प्लान में Block संख्या A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M में स्थित जिन भूखण्डों के आवंटन/लीजडीड जारी किये जा चुके है, (सूची संलग्न) को यथावत रखते हुए शेष योजना में संशोधन किया गया है।
	(5)	आवेदित योजना में भूखण्डो का माप एवं क्षेत्रफल, सड़को का मार्गाधिकार आदि का भौतिक रूप में डिमार्केशन प्राधिकरण अधिकृत सर्वेयर से राजस्व निरीक्षक के निर्देशन में किया जाकर सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।
	(6)	भूखण्ड/भूखण्डों का डिमार्केशन, क्षेत्रफल आदि की गणना मौके से की जानी अपेक्षित है।
	(7)	आवेदित प्लान के दक्षिण दिशा में गुजर रही विद्युत हाईटेंशन लाईन 132 के वी से नियमानुसार 13.8 मीटर की सुरक्षात्मक दूरी सेफ्टी कोरीडोर (दोनो ओर 6.9 मीटर) छुडवाया जाना अपेक्षित है।

वरिष्ठ प्रारूपकार / नगर नियोजन सहायक

निर्णय : प्रस्तावानुसार समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। अन्य विवरण में उल्लेखित बिन्दु संख्या 03, 04 के अनुसार मुख्य सड़क पर गुजर रही 132 के वी की लाईन के **safety corridor का प्रावधान रखते हुए** एवं पूर्व में जारी आवंटन/लीजडीड के अनुसार ही ले-आउट **प्लान में भूखण्डों को यथावत रखते हुए** उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति किए जाने की शर्त पर संलग्न **सामान्य शर्तो के दृष्टिगत, तकनीकी रूप से** संशोधित आवासीय भूखण्डों प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदित **किये जाने का निर्णय लिया गया।**

सहायक नगर नियोजक
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/05/2025
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/5/25
उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/5/25
उप नगर नियोजक
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/5/25
निदेशक (आयोजना)
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/5/25
सचिव
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

OFFICE : SAHELI MARG, UDAIPUR (Raj.), 0294-2425035, uitudaipur@rediffmail.com

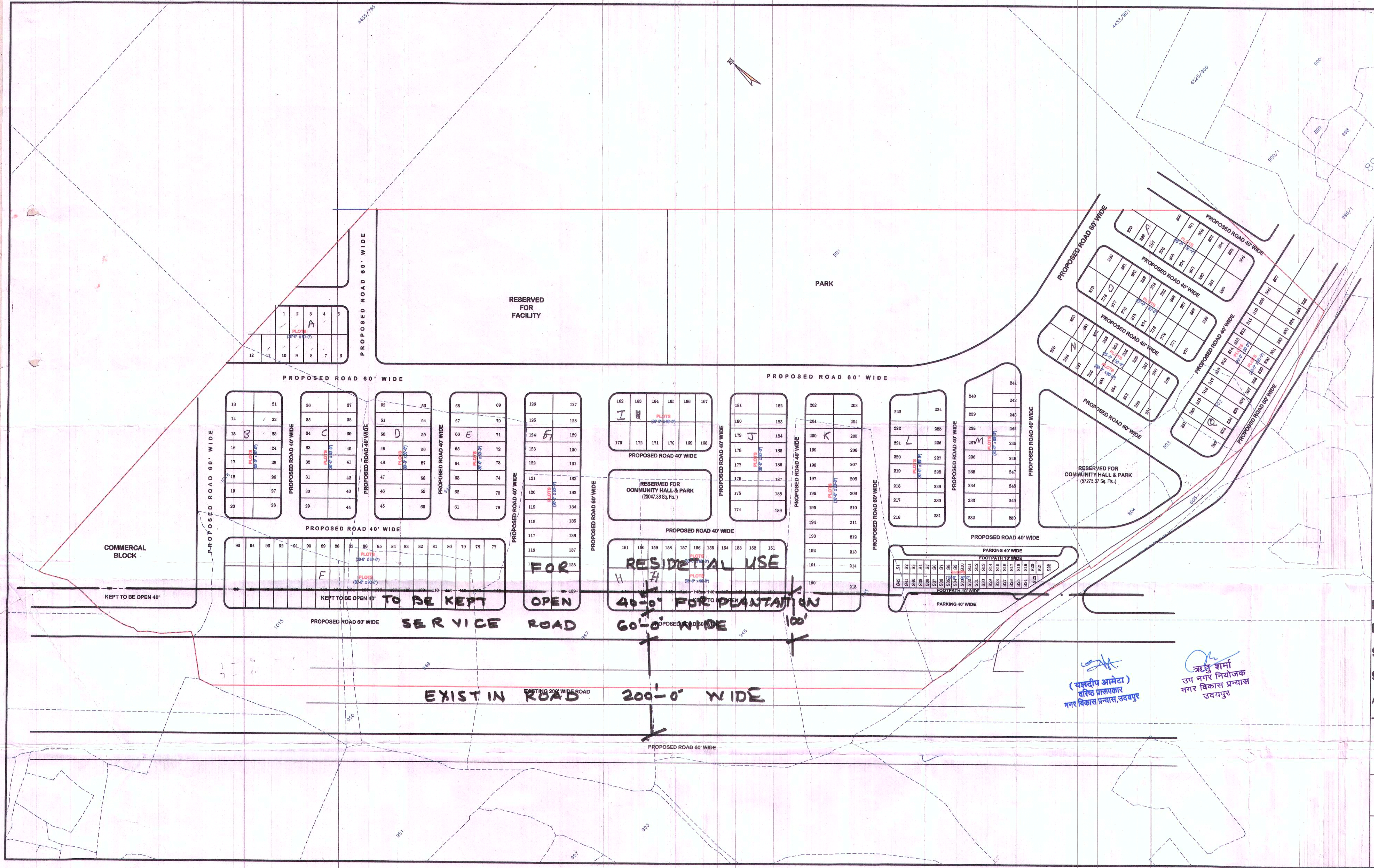

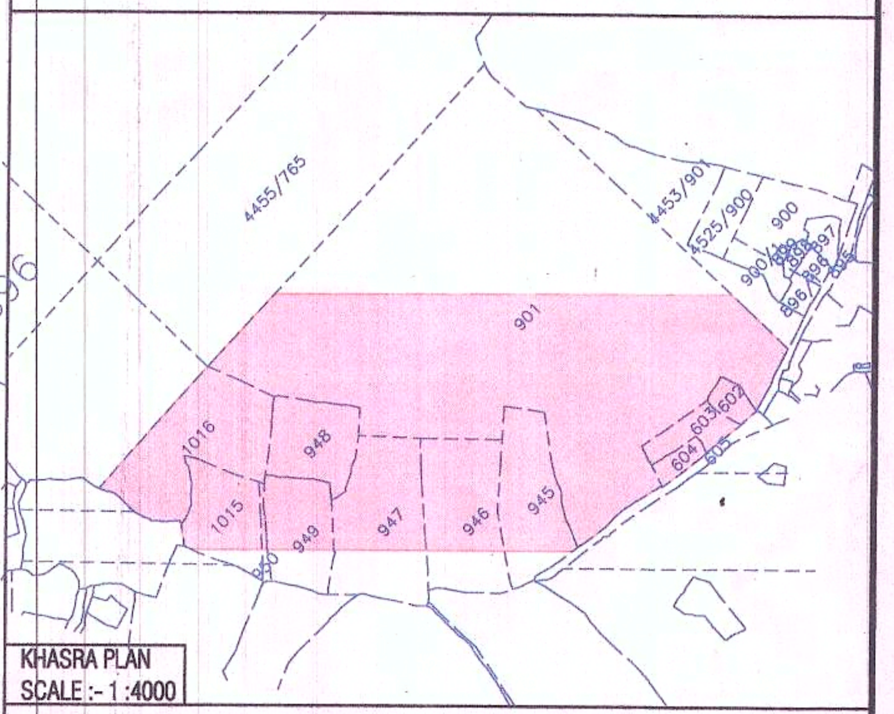

(1) THIS PLAN IS PREPARED ON THE BASIS OF SURVEY USING TOTAL STATION SUBMITTED BY CONSULTANT

(2) THE SCHEME KHASRA BOUNDARY HAVE BEEN VERIFIED BY PATWARI & TEHSILDAR U.I.T.

(3) LAY - OUT PLAN MAY BE VERY SLIGHTLY AFTER DEMARCATION.

SCHEME BOUNDARY ————

AREA CALCULATION

(19.7900 Hectare = 2129404.00 Sq.Fts.)

PLOTTING AREA	=	676038.10 Sq. Fts. (31.74%)
COMMUNITY / PARK	=	80322.79 Sq. Fts. (03.77%)
COMMERCIAL SHOP	=	19706.97 Sq. Fts. (00.92%)
COMMERCIAL BLOCK	=	82248.37 Sq. Fts. (03.86%)
FOOTPATH	=	11716.70 Sq. Fts. (00.55%)
PARKING	=	15998.35 Sq. Fts. (00.75%)
RESERVED FOR FACILITY	=	230817.48 Sq. Fts. (10.84%)
PARK	=	232724.21 Sq. Fts. (10.92%)
ROAD AREA	=	779831.03 Sq. Fts. (36.65%)
TOTAL AREA	=	2129404.00 Sq. Fts. (100.00%)

PROPOSED RESIDENTIAL SCHEME
LAYOUT PLAN IN KH. NO. 901Part, 902, 903, 904, 905, 945, 946, 947, 948, 949, 1015 & 1016

AT REV. VILL. : **WADA DHIKLI**

TEHSIL : **BADGAON**, DIST. : **UDAIPUR**

EWS/LIG Plots Proposed on Wada Aaraji No. 911, 912, 914, 916 To 925, 944, 953

(यशदीप आमेटा)
वरिष्ठ प्रारूपकार
नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर

ऋतु शर्मा
उप नगर नियोजक
नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर

R. I.	A. EN.	SCALE = 1:1200 F8 (84) DRG-2023 DATE 12-05-2023 U.I.T DRG. NO.	Consultant

EX. ENGINEER U. I. T. UDAIPUR	D. T. P. U. I. T. UDAIPUR	SECRETARY U. I. T. UDAIPUR

09/05/23 9/5/23

WADA INTEGRATED TOWNSHIP SCHEME
"REVISED"

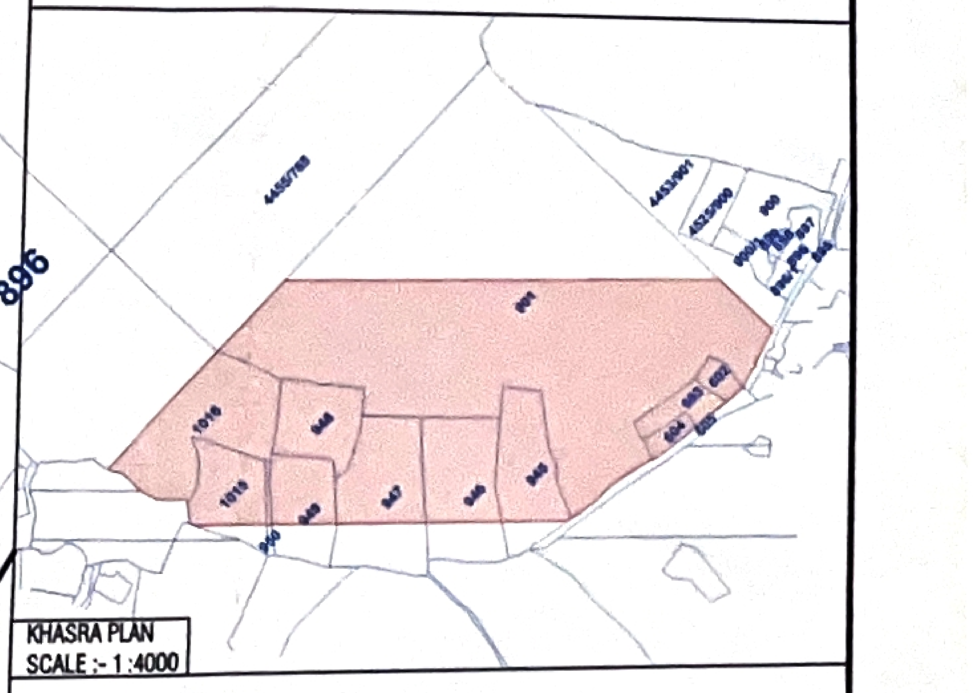

(1) THIS PLAN IS PREPARED ON THE BASIS OF SURVEY USING TOTAL STATION SUBMITTED BY CONSULTANT

(2) THE SCHEME KHASRA BOUNDARY HAVE BEEN VERIFIED BY PATWARI & TEHSILDAR U.I.T.

(3) LAY-OUT PLAN MAY BE VERY SLIGHTLY AFTER DEMARCATION.

SCHEME BOUNDARY ————

AREA CALCULATION

(19.7900 Hectare = 2129404.00 Sq.Ft.)

PLOTTING AREA	=	646098.14 Sq. Ft. (30.34%)
COMMERCIAL SHOP	=	20433.40 Sq. Ft. (00.95%)
COMMERCIAL BLOCK	=	75523.48 Sq. Ft. (03.54%)
FOOTPATH	=	7815.28 Sq. Ft. (00.36%)
PARKING	=	11328.13 Sq. Ft. (00.53%)
RESERVED FOR FACILITY		208943.49 Sq. Ft. } (13.31%)
+ COMMUNITY / PARK	=	73752.02 Sq. Ft.
PARK	=	254767.18 Sq. Ft. (11.96%)
ROAD AREA	=	830742.88 Sq. Ft. (39.01%)
TOTAL AREA	=	2129404.00 Sq. Fts. (100.00%)

REVISED RESIDENTIAL SCHEME LAYOUT PLAN IN KH. NO. 901Part, 902, 903, 904, 905, 945, 946, 947, 948, 949, 1015 & 1016

AT REV. VILL. : WADA DHIKLI

TEHSIL : BADGAON, DIST. : UDAIPUR

U.D.A. DRG. NO.- F8 (121) DRG. 2025

SCALE :- 1" : 100'

ISSUED - DATE 30-5-25

ALLOTTED PLOTS

NOTE:- ALLOTTED PLOTS ARE MARKED AS PER SALES SECTION REPORT. (AS ON TODAY)

प्राधिकरण की ले आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक - 28/05/25 में रख कर बैठक कार्यवाही विवरण में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन अनुमोदित किया गया।

Sr DM / T.P.A.	PTR. / R.I.	A.T.P	D.T.P	AEN. / EX.EN

ZONE D.C. U.D.A. UDAIPUR	S.E./A.C.E. U.D.A. UDAIPUR	L.A.O U.D.A. UDAIPUR	DIRECTOR (PLANNING) U.D.A. UDAIPUR	SECRETARY U.D.A. UDAIPUR	COMMISSIONER U.D.A. UDAIPUR

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक : उ.वि.प्रा. / बिक्री शाखा / 2025–26 / 860 दिनांक : 19/08/2025

प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि प्राधिकरण की वाडा ढीकली खसरा नं 901 से 905, 946 से 949 आदि योजना में भू–खण्डों की सूची निम्न प्रकार है।

क्र.सं.	कुल भूखण्ड	आवंटित भूखण्ड		रिक्त भूखण्ड
1.	336 (आवासीय)	112	पत्रकारों को जरिए लॉटरी दिनांक 16.05.2023 से आवंटित	137
		87	भूमि के बदले भूमि के एवज में आवंटित	
		कुल 199 आवासीय भूखण्ड आवंटित किए जा चुके है।		
2.	42 (व्यवसायिक)	0		42
	कुल भूखण्ड(378)	**199**		**179**

उक्त योजना में खाली रहे भूखण्डो को प्राधिकरण ई– ऑक्शन के माध्यम से बेचने के लिये प्रक्रियाधीन है।

8/9/25

भूमि अवाप्ति अधिकारी
उदयपुर विकास प्राधिकरण
उदयपुर

Rajasthan Real Estate Regulatory Authority, Jaipur
2nd & 3rd Floor, RSIC Wing, Udyog Bhawan,
Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Website : http://rera.rajasthan.gov.in
Phone No.: 0141-2851900

Rajasthan RERA

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This Certificate of registration is hereby granted under Section 5 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016 to the following project:-

1. Project registration number: **RAJ/P/2023/2677**
2. Details of Project: **, at Plot/Khasra No.Khasra No. 901 (part), 902, 903, 904, 905, 945, 946, 947, 948, 949, 1015 & 1016 , Village- Wada Dhikli , , Udaipur - 313001 (Rajasthan)**
3. Details of promoter:Name of the firm/society/company/competent authority **UIT UDAIPUR**having its office address at **UIT OFFICE , SAHELI MARG , Girwa , Udaipur (Rajasthan) - 313001**
4. This registration is granted subject to the following conditons,namely:-
   i. The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as provided in Form-G;
   ii. The promoter shall execute and register a convenyance deed in favour of the allottee for the apartment. Simultaneously he shall also execute and register the conveyance deed for the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority,as the case may be,as per Section 17 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016;
   iii. The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate, account to be maintained in a shedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per subclause(D) of clause(1) of sub - Section(2) of Section 4 of the Real Estate(Regulation and Development) Act, 2016
   iv. The registration shall valid upto **31-03-2025**(Estimated Finish Date) unless extended by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with Section 6 of the Real Estate(Regulation and Development) Act,2016 read with rule 7 of the Rajasthan Real Estate(Regulation and Development) Rules,2017;
   v. The promoter shall comply with the provisions of the Act and the rules and

Signature valid
Digitally signed by Ramesh Chandra Sharma
Designation : Registrar
Date: 2023.08.25 12:22:35 IST
Reason: Approved

regulations made there under;

vi. The promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.

5. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted here in.

6. If Applicable, it is the responsibility of the promoter to obtain the necessary extension of the time period indicated in Form-B regarding 'Date of Completion'.

This bears approval of Chairman,Rajasthan Real Estate Regulatory Authority(RERA)

Signature valid

Digitally signed by Ramesh Chandra Sharma
Designation : Registrar
Date: 2023.08.25 12:22:35 IST
Reason: Approved

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

- प्रस्तावित भूखण्ड के ऊपर से यदि कोई विद्युत लाईन गुजर रही हो तो ऐसे भूखण्डों पर भारतीय विद्युत नियम, 1956 व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/परिपत्रों के अनुसार [illegible] अन्तर्गत प्रभावित भूमि अथवा भूखण्ड का संपरिवर्तन नहीं किया जावे।

- राजस्थान टाउनशिप पालिसी 2010, मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 एवं उनके क्रम में जारी सभी आदेशों/परिपत्रों/निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें।

- एकल पट्टा होने से भविष्य में उपविभाजन राजस्थान टाउनशिप पालिसी व राजस्थान नगरीय क्षेत्र (उप विभाजन, संयुक्तिकरण व भूखण्ड सुधार) नियम, 1975 में निर्धारित प्रतिशत के अनुसार किया जायेगा।

- राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी आथोरिटी (रेगुलेशन एण्ड डवलपमेन्ट) रूल्स-2017 की पालना में रेरा में रजिस्ट्रेशन की पालना सक्षम स्तर पर सुनिश्चित करावें।

- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हिल पालिसी के क्रम में जारी आदेश की पालना सुनिश्चित की जावे।

- राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं/आदेशों/ परिपत्रों/निर्देशों/नियमों आदि की पालना सुनिश्चित करवाते हुए यह भी सुनिश्चित करावें कि माननीय न्यायालयों के आदेशो की अवहेलना नहीं हो।

उप नगर नियोजक (सदस्य सचिव)
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

क्रमांक : F.7( )PLAN/MISC/2025-26/366 से 376 दिनांक : 28/05/2025

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त महोदय, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
2. सचिव महोदय, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
3. जोन उपायुक्त, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
5. विशेषाधिकारी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
6. भूमि अवाप्ति अधिकारी, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
7. निदेशक (आयोजना), उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
8. अधिशाषी अभियन्ता, (प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ), उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
9. तहसीलदार, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
10. ड्राइंग शाखा, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।
11. नियमन शाखा, (प्रथम, द्वितीय, तृतीय), उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर।

28/05/25

उप नगर नियोजक (सदस्य सचिव)
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

UDA

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

ले-आउट प्लान समिति की बैठक दिनांक 28/05/25 का कार्यवाही विवरण

प्रकरण संख्या : 480/05

1	आवेदक का नाम	उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर वाडा इंन्टिग्रेटेड टाउनशिप योजना (संशोधित)
	आई डी नं०	-
2	खसरा नं0 व ग्राम का नाम	राजस्व ग्राम वाड़ा ढीकली के खसरा संख्या 901 (पार्ट), 902, 903, 904, 905, 945, 946, 947, 948, 949, 1015, 1016,
3	कुल क्षेत्रफल	19.7900 हेक्टयर

4 संशोधित ले-आउट प्लान अनुसार क्षेत्रफल विश्लेषण।

RESIDENTIAL (PLOTS)	COMMERCIAL SHOP	COMMERCIAL BLOCK	FOOTPATH	TOTAL AREA
646098.14 वर्गफीट 30.34 प्रतिशत	20433.40 वर्गफीट 0.95 प्रतिशत	75523.48 वर्गफीट 3.54 प्रतिशत	7815.28 वर्गफीट 0.36 प्रतिशत	21,29,404.00 वर्गफीट 100.00 प्रतिशत
PARKING	RESERVED FOR FACILITY – COMMUNITY / PARK	PARK	ROAD AREA	
11328.13 वर्गफीट 0.53 प्रतिशत	282695.51 वर्गफीट 13.31 प्रतिशत	254767.18 वर्गफीट 11.96 प्रतिशत	830742.87 वर्गफीट 39.01 प्रतिशत	

5 विवरण

(1) अधीक्षण अभियन्ता, प्राधिकरण की आनलाईन पत्रावली पर रिपोर्ट अनुसार ''राजस्व ग्राम वाडा ढीकली खसरा संख्या 901 पार्ट, 901 से 905, 945 से 949, 1015 एवं 1016 में विभिन्न आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्लान अनुसार मौके पर हाईवे के समानान्तर स्थित 60 फीट सड़क के मार्गाधिकार के मध्य में हाईटेंशन लाईन 132 के.वी. के दो (02) विधुत पोल आ रहे है। इस कारण मौके पर पोल के दोनो तरफ वाहनों के आवागमन हेतु चौडाई कम मिल पा रही है।'' जिसके क्रम में हाईटेंशन लाईन होने से उक्त योजना मानचित्र में संशोधन किया जाना अपेक्षित है।

(2) पूर्व में आवेदित भूमि का ले-आउट प्लान दिनांक 09-05-2023 को इंटीग्रेटेड आवासीय योजना

Off Add SAHELI MARG, UDAIPUR (Raj), 0294-2425035, uitudaipur@rediffmail com

		प्रयोजनार्थ अनुमोदित किया गया था एवं दिनांक 10-10-2024 को ब्लाक N के पार्ट प्लान का संशोधन किया गया था जिसे भी संशोधित प्लान में अंकित किया गया है।
	(3)	सहायक नगर नियोजक, प्राधिकरण की आनलाईन पत्रावली पर रिपोर्ट अनुसार "आवेदित योजना के दक्षिण दिशा मे हाईवे के समान्तर पूर्व अनुमोदित प्लान में दर्शित 60 फीट सड़क के मार्गाधिकार मे 132 K.V. H.T. Line गुजर रही है। उक्त विद्युत लाइन का नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 17-06-2022 के बिन्दु संख्या 03 के अनुसरण में सेफ्टी कारिडोर व ROW के कारण योजना में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
	(4)	बिक्री शाखा, प्राधिकरण की रिपोर्ट अनुसार पूर्व में अनुमोदित प्लान में Block संख्या A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M में स्थित जिन भूखण्डों के आवंटन/लीजडीड जारी किये जा चुके है, (सूची संलग्न) को यथावत रखते हुए शेष योजना में संशोधन किया गया है।
	(5)	आवेदित योजना में भूखण्डो का माप एवं क्षेत्रफल, सड़को का मार्गाधिकार आदि का भौतिक रूप में डिमार्केशन प्राधिकरण अधिकृत सर्वेयर से राजस्व निरीक्षक के निर्देशन में किया जाकर सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।
	(6)	भूखण्ड/भूखण्डों का डिमार्केशन, क्षेत्रफल आदि की गणना मौके से की जानी अपेक्षित हैं।
	(7)	आवेदित प्लान के दक्षिण दिशा में गुजर रही विद्युत हाईटेंशन लाईन 132 के वी से नियमानुसार 13.8 मीटर की सुरक्षात्मक दूरी सेफ्टी कोरीडोर (दोनो ओर 6.9 मीटर) छुड़वाया जाना अपेक्षित है।

वरिष्ठ प्रारूपकार / नगर नियोजन सहायक

निर्णय : प्रस्तावानुसार समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। अन्य विवरण में उल्लेखित बिन्दु संख्या 03, 04 के अनुसार मुख्य सड़क पर गुजर रही 132 के वी की लाईन के **safety corridor का प्रावधान रखते हुए** एवं पूर्व में जारी आवंटन/लीजडीड के अनुसार ही ले-आउट **प्लान में भूखण्डों को यथावत रखते हुए** उल्लेखित बिन्दुओं की पूर्ति किए जाने की शर्त पर संलग्न **सामान्य शर्तो के दृष्टिगत, तकनीकी रूप से** संशोधित आवासीय भूखण्डों प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान **अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।**

सहायक नगर नियोजक
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/05/2025
अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/5/25
उपायुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/5/25
उप नगर नियोजक
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/5/25
निदेशक (आयोजना)
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

28/5/25
सचिव
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

आयुक्त
उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

OFFICE: SAHELI MARG, UDAIPUR (Raj.), 0294-2425035, ...@rediffmail.com